बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कौटिल्य नगर, पटना–800014.

सोहैल अख्तर
मुख्य अभियंता

दूरभाष (कार्यालय) : 0612-2223727
फैक्स : 0612-2224529

कार्यालय आदेश सं0: दिनांक :– 2022

कार्यालय आदेश

विषय : समयवृद्धि स्वीकृति सम्बन्धित

एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में कार्य को पूरा करने हेतु अवधि विस्तार के प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु निगम में प्राप्त होने पर विभिन्न एकरारनामा के प्रारूपों के प्रावधानों के आलोक में समयवृद्धि दिये जाने के साथ विस्तारित अवधि Price neutralization की देयता पर भी विचार करने की आवश्यकता रहती है। इस सम्बन्ध में SBD (Standard Bidding Document) के Clause of Contract की कण्डिका 5 एवं F2 के Clause of Contract की कण्डिका 2 एवं 5 सन्दर्भित है। इस पर एकरूपता बनाये रखने के लिए निगम में मार्गदर्शक सिद्धांत को निरूपित किये जाने की आवश्यकता है।

2. पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के कार्यालय आदेश सं0 95 सह पठित ज्ञापांक 3505(S) दिनांक 21.04.2015, आदेश ज्ञापांक 1631(S) दिनांक 28.02.2018 तथा कार्यालय आदेश ज्ञापांक 5188(S) दिनांक 25.10.2021 में निरूपित प्रावधानों को निगम के कार्यों एवं आवश्यकताओं के अनुसार परिमार्जित करते हुए मार्गदर्शक नीति अग्रिम कण्डिकाओं में निर्धारित की जाती है।

3. समयवृद्धि हेतु समर्पित प्रस्तावों में निम्न बिन्दुओं पर स्पष्ट सूचना उपलब्ध करायी जाय :–

(i) एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि के बीच Non working period को समाहित किया गया है अथवा नहीं?

(ii) विलम्ब से समयवृद्धि का प्रस्ताव समर्पित करने पर साक्ष्य सहित कारण।

(iii) एकरारनामा के प्रावधानों के अधीन संवेदक द्वारा प्रस्तावित एवं निगम द्वारा अनुमोदित Work programme के अन्तर्गत निर्धारित milestones के आलोक में कार्य के दौरान व्याप्त अवरोधों (encumbrances) के समाधान हेतु विभिन्न क्षेत्रीय स्तर पर की गई कार्यवाही का विवरण।

(iv) व्याप्त अवरोध (encumbrance) के सम्बन्ध में संवेदक द्वारा कार्य प्रमण्डल एवं अन्य कार्यालयों को ससमय दी गई सूचना का विवरण।

(v) समयवृद्धि की अनुशंसा में, निर्धारित अवधि तक कार्य पूरा नहीं होने के लिए जिन कारणों का उल्लेख किया गया है उसके समर्थन में स्पष्ट एवं स्वीकार योग्य साक्ष्य।

(vi) अवरोध के कारण कितने कार्य दिवस तक कार्य प्रभावित रहा और उसी के समानुपातिक कार्य अवधि विस्तार का प्रस्ताव है अथवा नहीं, यदि नहीं तो क्यों?

4. SBD की कंडिका 5.2 के प्रावधान को निम्नवत् स्पष्ट किया जाता है :–

(i) प्राकृतिक आपदा (force majeure), जैसे अप्रत्याशित बाढ़ (unprecedented flood), भूकम्प इत्यादि;

(ii) वामपंथी गतिविधि/गंभीर कानून व्यवस्था मामलों के कारण गम्भीर (serious) हानि या नुकसान/क्षति (damage);

(iii) अन्य संवेदक, अन्य लोक कार्य विभाग, Utilities द्वारा किया जा रहा कार्य जो ससमय पूरा नहीं हुआ और इसके कारण विषयांकित कार्य प्रभावित हुआ;

(iv) यदि निगम द्वारा कोई सामग्री निर्गत की जानी है और समय पर निर्गत नहीं की गयी है;

(v) यदि सरकारी प्लांट से कार्य कराने की बाध्यता है तो प्लांट के break down होने की स्थिति;

(vi) वैसे भूखण्ड (section) जो भूमि अधिग्रहण या Utility shifting या Forest/environmental clearance से प्रभावित हो;

(vii) एकरारनामा के Bill of Quantity (BOQ) में अंकित कार्य एवं मात्रा के अतिरिक्त आदेशित अन्य कार्य;

(viii) निगम को स्वीकार्य अन्य विशेष प्रकृति के कारण जिसके बारे में पूर्वानुमान सम्भव नहीं था।

5. Price neutralization की देयता के सम्बन्ध में निम्नवत् नीति का अनुपालन किया जायेगा :–

(i) SBD आधारित वैसे कार्य/मूल कार्य जिसे पूरा करने की एकरारित अवधि 18 माह अथवा 18 माह से कम है एवं SBD के Clause of Contract की कंडिका 10CA प्रभावी है :

(क) पूर्व कंडिका 4 में अंकित कारण/कारणों से (जिसके समर्थन में स्वीकार योग्य साक्ष्य उपलब्ध है) समयवृद्धि की स्वीकृति की स्थिति में विस्तारित अवधि के लिए कोई Price neutralization देय नहीं होगा। अर्थात् एकरारनामा के अनुसार कार्य पूरा करने की तिथि को लागू Price Index ही विस्तारित अवधि के लिए लागू होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम है तो विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।

(ख) कार्य को पूरा करने के लिए स्वीकृत अतिरिक्त समय एवं मूल एकरारनामा के अनुसार कार्य पूरा करने की अवधि का योग यदि 18 माह से अधिक हो जाने की स्थिति में भी 10CC लागू नहीं होगा।

(ii) SBD आधारित वैसे कार्य/मूल कार्य जिसे पूरा करने की अवधि 18 माह से अधिक है :–

(क) पूर्व कंडिका 4 में अंकित कारण/कारणों से (जिसके समर्थन में स्वीकार योग्य साक्ष्य उपलब्ध है) देय समयवृद्धि की स्वीकृति की स्थिति में विस्तारित अवधि के लिए विस्तारित अवधि में प्रभावी Price Index के अनुसार विस्तारित अवधि के लिए भी 10CC के अधीन Price neutralization देय होगा।

(ख) कंडिका 4 में अंकित कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य विशिष्ट कारणों से समयवृद्धि की स्वीकृति दी जाती है तो विस्तारित अवधि में प्रभावी Price Index के आधार पर Price neutralization देय नहीं होगा। अर्थात् एकरारनामा के अनुसार कार्य पूरा करने की तिथि को लागू Price Index ही विस्तारित अवधि के लिए लागू होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम है तो विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।

(iii) CMBD आधारित कार्य हेतु Clause of Contract की कंडिका 10CA के प्रावधानों के अधीन भी उक्त 5 (ii) (क) तथा 5 (ii) (ख) लागू होगा।

6. SBD/CMBD की Clauses of Contract की कंडिका 5.1/C5.1 एवं Contract data के Schedule-F के अनुसार कार्यों के भौतिक milestone भी निर्धारित किये जायें ताकि encumbrance free site के आलोक में प्राथमिकता के आधार पर कार्य सम्पादित हो और व्यवधान रहित भूखण्ड में ससमय कार्य सम्पादित हो जाये। कार्यों के वित्तीय और भौतिक प्रगति की समीक्षा और कार्य के दौरान आ रहे व्यवधान के समाधान हेतु कार्यपालक अभियंता के स्तर पर प्रत्येक माह की निर्धारित तिथि को संवेदक के साथ बैठक आयोजित की जाये। बैठक की कार्यवाही निगम मुख्यालय को प्रेषित की जाये। कार्य स्थल पर आ रही बाधाओं को दूर करने हेतु ससमय प्रयास किया जाय।

7. मुख्य अभियंता अपने स्तर से समयवृद्धि की अनुशंसा भेजते समय इस आशय की समीक्षा अवश्य करेंगे कि कार्य के दौरान आये अवरोधों (encumbrance) के समाधान हेतु कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा तत्परता से कार्यवाही की गई है। संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा तत्परता से नियमानुकूल कार्यवाही नहीं की गई है तो साक्ष्य के साथ उनके विरूद्ध कार्यवाही की अनुशंसा भी करेंगे।

8. संविदा में निहित कार्यपूर्णता की अविध को बढ़ाने (Extension of Time) सम्बन्धी संवेदक के अभ्यावेदन का निपटारा सक्षम प्राधिकार द्वारा एक तार्किक आदेश पारित करते हुए आवेदन की तिथि से तीन माह के भीतर कर दिया जायेगा। इसके लिए निम्न व्यवस्था रहेगी:

(क) एकरारानामा के अनुसार निर्धारित कार्य समाप्ति की तिथि के बाद Standard Bidding Document/F2 Agreement में अंकित प्रावधानों की कंडिका Clause 2 के अनुरूप एकरारित राशि में से अधिकतम 10% दण्ड शुल्क के कटौती के साथ संवेदक को भुगतान किया जा सकेगा।

(ख) काल क्रम में यदि उस कार्य के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा अवधि विस्तार की स्वीकृति दी जाती है तब ऊपर उप–कण्डिका (क) के अनुरूप कटौती की गयी राशि की वापसी की जा सकेगी।

(ग) वैसे संवेदक, जो आवंटित कार्यों की निर्धारित समयावधि या सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदित विस्तारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण नहीं करेंगे, वे स्वतः अगली निविदा में तब तक भाग नहीं ले सकेंगे, जब तक वे पुराने लंबित कार्यों को पूर्ण नहीं कर लेते।

(घ) यह व्यवस्था 01 फरवरी, 2022 से लागू होगी।

(ड़) तद्नुसार सभी संवेदक अवगत हों कि वे अपने पुराने लंबित सभी कार्यों को जनवरी, 2022 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा अन्य किसी भी नई निविदा में भाग लेने का अवसर उन्हें प्राप्त नहीं होगा।

9. उपर्युक्त पर अध्यक्ष–सह–महाप्रबंधक का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(सोहैल अख्तर)

ज्ञापांक................................/पटना, दिनांक–...................2022

प्रतिलिपि : बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार मुख्यालय के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

ह0/–
(सोहैल अख्तर)

ज्ञापांक................................/पटना, दिनांक–...................2022

प्रतिलिपि : सभी कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

ह0/–
(सोहैल अख्तर)

ज्ञापांक....HQ 93..../पटना, दिनांक–....10/1/....2022

प्रतिलिपि : श्री जितेन्द्र गिरि, वरीय निजी सहायक को नोटिस बोर्ड पर एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम की आधिकारिक बेवसाइट पर सभी संवेदकों की सूचना हेतु upload करने हेतु।

(सोहैल अख्तर)